

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 715/2018

दायर दिनांक :- 21.08.2018

अनवान

1. नारायण पिता कालू दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
2. लाली पत्नि नारायण दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. बद्रीलाल पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
2. चतरा पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
3. मोती पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
4. कजोड पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
5. जमना पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
6. दुर्गा पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
7. भूला पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
8. पाँची पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
9. छोटी पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
10. पारी पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
11. लीला पिता देवी दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
12. भैरू पिता शोभागसिंह दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
13. कैलाश पिता शोभागसिंह दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
14. मीरा पिता शोभागसिंह दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
15. रेखा पिता शोभागसिंह दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
16. सोहनी पत्नि शोभागसिंह दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
17. भुरी पत्नि प्रताप दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
18. कालू पिता छीतर दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
19. प्रेम पत्नि छीतर दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
20. मॉगू पिता प्रताप दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
21. रामा पिता प्रताप दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
22. गोपाल पिता प्रताप दरोगा नि. छीतरपुरा तह. जहाजपुर
23. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री महावीर सनाढ्य, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 20.07.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम छीतरपुरा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 33 कुल कित्ता 01 रकबा 16-00 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नियम 20 में दिये गये अन्य सिद्धान्तों के साथ साथ यथासंभव कब्जे

अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 24.05.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादीगण भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	नारायण पुत्र कालु दरोगा सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा खजुरी	33 में से	1.0368	बीड II	
		कुल कित्ता 1	1.0368		
2.	लाली पत्नि नारायण दरोगा सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा खजुरी	33 में से	0.6912	बीड II	
		कुल कित्ता 1	0.6912		
3	कजोड पुत्र देवी दरोगा 1/16, कैलाश पुत्र शोभागसिंह 1/80, बालु पुत्र छीतर दरोगा 1/20 रहन स. भू. वि. बैंक शाहपुरा, गंगा पुत्र देवी दरोगा 1/16, गुलाब पुत्र देवी 1/16, गोपाल पुत्र प्रताप 1/10, चतरा पुत्र देवी 1/16, जमना पुत्र देवी 1/16, प्रेम पत्नि छीतर 1/20, बद्रीलाल पिता देवी 1/16 रहन स. भू. वि. बैंक शाहपुरा, भैरू पुत्र शोभाग सिंह 1/80, भूरी पत्नि प्रताप दरोगा 1/10, मांगू पुत्र प्रताप 1/10, मीरा पिता शोभागसिंह 1/80, मोतीलाल पुत्र देवी 1/16, रेखा पिता शोभागसिंह 1/80, रामा पुत्र प्रताप 1/10, सोहनी पत्नि शोभाग सिंह 1/80 दरोगा	33 में से	1.7280	बीड II 1.5228 गेमुरास्ता 0.2052	
		कुल कित्ता 1	1.7280		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

To
(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)